

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई वृत्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई खण्ड, उत्तर प्रदेश।

संख्या 67-742/स्था0-1(2/175)/ज्ये0सूची/2018 दिनांक:लखनऊ: 07 फरवरी, 2018

विषय:- ज्येष्ठता सूची का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त, विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या 369/62-2-2018-2/4 (26)12 दिनांक 01.02.2018 एवं पत्र संख्या 369-1/62-2-2018-2/4(26)12 दिनांक 06.02.2018 द्वारा दिये गये निदेशानुसार मा0 उच्चतम् न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या- 3348/2015 नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी बनाम् सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2015 के परिपेक्ष्य में विभागीय ज्येष्ठता सूची पुनरीक्षित किये जाने के सन्दर्भ में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विद्यमान ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.08.2005 के सम्बन्ध में यदि किसी सम्बन्धित अधिकारी को अपना कुछ मत/प्रत्यावेदन उपलब्ध कराना है तो वे दिनांक 15.02.2018 तक अनिवार्य रूप से अपना मत/प्रत्यावेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी अधिकारी का प्रार्थना पत्र/प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं होगा।

भवदीय,

(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता।

संख्या 67-742/स्था0-1(2/175)/ज्ये0सूची/2018 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 01.02.2018 व 06.02.2018 के संदर्भ में।
2. अधीक्षण अभियन्ता एवं निदेशक(प्रशिक्षण), लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
3. मुख्यालय के सम्बन्धित अधिकारी।

(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता।